सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 265
06/04/2018

साम्प्रदायिक तनाव में क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिए राज्य सरकार की सहायता राशि विमुक्त की गयी

पटना, 06 अप्रैल 2018 ::– राज्य में आपसी भाईचारा एवं अमन चैन कायम रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में किसी को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, गत रामनवमी पर्व के अवसर पर राज्य के कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण कतिपय छोटी–छोटी घटनाएं घटित हुई। किन्तु इन पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

गृह विभाग ने यह भी जानकारी दी कि इन घटनाओं में हुए नुकसान तथा प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिसम्पत्तियों की हुई क्षति के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान/मुआवजा भुगतान के संबंध में तत्परता से कार्रवाई की गई है। इसके लिए समस्तीपुर, औरंगाबाद एवं नवादा जिला से प्राप्त अनुग्रह अनुदान/मुआवजा भुगतान संबंधी अधियाचना के आलोक में :–

(क) समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में गुदरी मस्जिद एवं मदरसा जियाउल–उलूम को हुए नुकसान के लिए मुआवजा के रूप में रु0 2.137 लाख की राशि वितरण हेतु समस्तीपुर जिला प्रशासन को उपलब्ध करायी गई है। मुआवजा राशि के वितरण की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं।

(ख) औरंगाबाद जिला में प्रभावित व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों की हुई क्षति के लिए रु0 25.3 लाख की राशि का आवंटन दिया गया है। प्रभावितों के बीच मुआवजा राशि के वितरण की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही हैं।

(ग) नवादा जिला में प्रभावित व्यक्तियों की परिसम्पत्तियों की हुई क्षति के लिए रु0 8.5 लाख की राशि का आवंटन दिया गया है। प्रभावित व्यक्तियों के बीच अपेक्षित मुआवजा राशि का वितरण कर दिया गया है।

राज्य सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारा कायम रखने हेतु कटिबद्ध है।

————————————